सेंट जेवियर्स एजुकेशनल सोसायटी

सिविल लाइन निकट रोडवेज बस स्टेशन, जिला बलरामपुर

के प्रबन्धकारिणी की सूची

वर्ष 2023 2024

क्र.सं.	नाम, पिता/पति का नाम	पता	पद	व्यवसाय
1.	श्री नीतिश कुमार पुत्र श्री रामचंद्र प्रसाद चौधरी	जेवियर्स हाई विद्यालय, नजदीक डाक बंगला, जी0टी0रोड, जिला फतेहपुर	अध्यक्ष	कृषि
2.	श्री विनय कुमार पुत्र स्व0सत्यदेव प्रसाद	निकट हास्टेल मदर मेरी, अपोजिट टी0वी0 टावर, जिला बलरामपुर	उपाध्यक्ष	कृषि
3.	श्री सुयश कुमार पुत्र स्व0 श्यामता प्रसाद जैसवाल	12/10बी, मेट्रो सिटी, निशातगंज, लखनऊ	सचिव/सह कोषाध्यक्ष	नौकरी
4.	श्री अमन कुमार पुत्र श्री सतीश कुमार जायसवाल	विशुनपुर पानी टंकी, सेंट जैवियर्स हाई स्कूल, बलरामपुर	उपसचिव	कृषि
5.	श्रीमती पूर्णिमा जायसवाल पत्नी श्री राजेश कुमार जायसवाल	C/o भारत स्टोर, सिविल लाईन, जिला बलरामपुर	सदस्य	कृषि
6.	श्री राकेश पाल पुत्र श्री जगदम्बा पाल	पालबस सर्विस पीली कोठी रोडवेज तिराहा, गांधी नगर बस्ती	सदस्य	कृषि
7.	श्रीमती ऊषा सिंह पत्नी श्री आर0सी0सिंह	सिविल लाइन, बलरामपुर	सदस्य	गृहणी

सत्य प्रतिलिपि

प्रारूप-9
नियम 8(2) देखिये

संख्या 01823/2021-2022

दिनांक 20/10/2021

सोसाइटी के नवीनीकरण का प्रमाण-पत्र

(अधिनियम संख्या 21, 1860 के अधीन)

नवीनीकरण
संख्या:R/BLR/10108/2021-2022

पत्रावली संख्या:F-14492 दिनांक:2001-2002

एतदद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि **सेंट जेवियर्स एजूकेशनल सोसायटी, सिविल लाइन निकट रोडवेज बस स्टैण्ड, जिला बलरामपुर, उ0प्र0, बलरामपुर, 271201** को दिये गये रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र संख्या- 652/2001-02 दिनांक-17/10/2001 को दिनांक-17/10/2021 से पांच वर्ष की अवधि के लिए नवीनीकृत किया गया है। 1000 रूपये की नवीनीकरण फ़ीस सम्यक् रूप से प्राप्त हो गयी है।

Digitally Signed By
(DURGESH TRIPATHI)
95F5ADA0C02DA7968DA3B3F3097EFC08B15C904C
Date: 20/10/2021 4:14:47 PM, Location: Ayodhya.

जारी करने का दिनांक-20/10/2021

सोसाइटी के रजिस्ट्रार,
उत्तर प्रदेश।

संख्या 6419 / 18.10.16

सोसाइटी के नवीनीकरण का प्रमाण पत्र

नवीनीकरण संख्या 1534/2016-2017

फाइल संख्या F-14492

एतद्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि सेंट जेवियर्स एजूकेशनल सोसायटी।

सिविल लाइन निकट रोडवेज बस स्टैण्ड जिला–बलरामपुर।

को दिये गये रजिस्ट्रीकरण प्रमाण – पत्र संख्या 652/2001-02

दिनांक 17/10/2001 को दिनांक 17/10/2016 से पाँच वर्ष की अवधि

के लिये नवीकृत किया गया है।

1000 रूपये की नवीकरण फीस सम्यक् रूप से प्राप्त हो गयी है।

दिनांक 17/10/2016

सोसाइटी के रजिस्ट्रार
उत्तर प्रदेश

सेंट जेवियर्स एजुकेशनल सोसाइटी की नियमावली

1. संस्था का नाम:- सेंट जेवियर्स एजुकेशनल सोसाइटी।

2. संस्था का पूरा पता:- सिविल लाइन निकट रोडवेज बस स्टैन्ड, बलरामपुर।

3. संस्था का कार्य क्षेत्र:- सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश होगा। एवं आवश्यकतानुसार कार्य की क्षमता को देखते हुए क्षेत्र का विस्तार किया जा सकेगा।

4. संस्था का उद्देश्य स्मृति पत्र के अनुसार:-

5. संस्था का सदस्यता तथा सदस्यों के वर्ग:-

§1§- सदस्यता- कोई भी महिला एवं पुरुष जिनका आयु 18 वर्ष से अधिक का हो, रचनात्मक प्रवृत्ति का हो, समाज सेवा में रूचि रखता हो और जो संस्था के नियमों का पालन करेगे, संस्था के सदस्य बन सकते है। सदस्य बनने के लिए आवेदन-पत्र देना होगा। जिसकी स्वीकृतियां अस्वीकृति प्रबन्धकारिणी समिति द्वारा की जायेगी, सदस्यों का प्रवेश शुल्क 21/- रूपये एवं 251 रूपया वार्षिक सदस्यता शुल्क देना होगा।

§2§- सदस्यता वर्गीकरण:-

§क§- आजीवन सदस्य:- सदस्यता के लिए संस्था के उद्देश्यों के प्रति निष्ठा रखने वाला कोई भी भारतीय नागरिक जो 500/- रू० सदस्यता शुल्क जमा करता है उसे आजीवन सदस्य का अधिकार प्राप्त होगा।

§ख§- विशिष्ट:- जो भी व्यक्ति §क§ के अनुसार 10,000/- जमा करता है अथवा इसके समकक्ष की धनराशि का सहयोग किसी प्रकार भी संस्था का करता है अथवा कराता है वह संस्था का विशिष्ट सदस्य होगा।

§ग§- संरक्षक सदस्य:- समाज का कोई भी प्रतिष्ठित, गुणमान्य एवं स्वतंत्रता सेनानी हो, इस संस्था के उद्देश्य के प्रति सहानुभूति रखते हो एवं इस संस्था के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की दिशा में कार्य करेगे, वैसे व्यक्ति इस संस्था संरक्षक सदस्य होंगे।

सत्य प्रतिलिपि
उप निबन्धक
फर्म्स समितियाँ तथा चिट्स
फैजाबाद (उ० प्र०)
08/11/2001

प्रतिलिपि कर्ता ....
मिलान कर्ता ....
08/11/2001

........2....पर

6. सदस्यता की समाप्ति:-

§क§- स्वयं त्याग पत्र देने पर।

§ख§- पागल या मृत्यु होने पर।

§ग§- समिति द्वारा अविश्वास का प्रस्ताव पारित करने पर।

§घ§- न्यायालय द्वारा दण्डित होने पर।

§ङ§- अवधि समाप्ति से एक माह के अन्तर।

§च§- सदस्यता शुल्क न जमा करने पर।

§छ§- संस्था के विरूद्ध गलत आचरण करने पर।

§ज§- समिति के लगातार तीन बैठकों में अनुपस्थित रहने पर।

7. संस्था के अंग:-

§अ§- साधारण सभा।

§ब§- प्रबन्धकारिणी समिति।

अ- साधारण सभा:-

गठन:- सभी प्रकार के सदस्यों को मिलाकर साधारण सभा कहलायेगी। जिसकी वार्षिक बैठक सचिव द्वारा एक माह की सूचना पर बुलाई जायेगी। जिसकी अध्यक्षता कार्यकारिणी समिति के कार्यकारिणी समिति के अध्यक्ष करेंगे। जो संस्था का भी अध्यक्ष कहलायेगा।

ब- बैठक:- सभी वर्गों के समस्त सदस्यों की साधारण वार्षिक सभा प्रति वर्ष एक बार प्रबन्धकारिणी समिति के नियमानुसार निश्चित तिथि व स्थान पर बुलाई जायेगी। ऐसी सभा को साधारण वार्षिक सभा कहा जायेगा। समिति की अन्य सभी सभायें जब भी आवश्यकतानुसार बुलाई जायेगी व विशेष साधारण सभा के नाम से संबोधित होगी।

सत्य प्रतिलिपि
उप निबन्धक
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स
फैजाबाद (उ०प्र०)

मिलानकर्ता
लिपिक कर्ता
8/11/2001

.......3.....पर

स- **विशेष साधारण सभा:-**

न्यूनतम 25% सदस्यों की हस्ताक्षर के साथ किसी लिखित प्रार्थना के प्राप्त होने पर समिति 30 दिन के भीतर जब भी उचित समझे समिति को विशेष साधारण सभा निर्धारित समय व स्थान पर समिति के द्वारा उपस्थित किये गये विषयों पर विचार करने के लिए बुला सकती है। यदि प्रार्थी सभा हो तो प्रार्थना में उल्लिखित विषयों पर सभा विचार करेगी।

द- **सूचना अवधि:-**

उपर्युक्त पिछले वाक्य खण्ड "क" अनुसार यदि समिति निश्चित समय पर सदस्यों को प्रार्थना-पत्र समिति न बुलाये तो प्रार्थी वर्ग स्वयं 7 दिन के भीतर एक विशेष साधारण सभा कार्यालय में प्रार्थना में उल्लिखित विषय पर विचार करने के लिए बुला सकता है ऐसी विशेष साधारण सभा वार्षिक साधारण सभा के नियमानुकूल होगी और इसके लिए वही नियम लागू होंगे जो इस नियमावली में दिये गये हैं। वार्षिक और विशेषसाधारण सभा की सूचना समिति की सदस्यों को 15 दिन पहले समय, तिथि, स्थान और विचारणीय विषय के साथ डाक द्वारा अथवा अन्य किसी अन्य प्रकार से भेजी जायेगी। किसी सदस्य को संयोगिक छूट के कारण सूचना न मिलने पर समिति न स्वीकृति किये गये प्रस्ताव रद्द न होंगे। आवश्यकता पड़ने पर समिति को सूचना की अवधि को घटाकर 7 दिन कर देने का अधिकार होगा।

य- **गणपूर्ति एवं विशेष वार्षिक अधिवेशन:-**

गणपूर्ति सदस्यों की कुल संख्या का 2/3 अनिवार्य होगा कोरम के अभाव में स्थगित बैठक के लिए कोरम की आवश्यकता न ही होगी। सामान्य बैठक वर्ष में एक बार तथा विशेष बैठक आवश्यकतानुसार नियमान्तर्गत होगी।

शा चन्द्र लाल
May Ku.
Chand
jata Chaudhary
सिमा जायसवाल

सत्य प्रतिलिपि
उप निबन्धक
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स
फैजाबाद (उ० प्र०)
08/11/01

प्रतिलिपि कर्ता
मिलान कर्ता
08/11/2001

.........4......पर

र- <u>साधारण सभा के कर्तव्य व अधिकार:-</u>

क- समिति के पदाधिकारियों/एवं सदस्यों का निर्वाचन करना।

ख- संस्था के आय-व्यय, लेखा विचार कर स्वीकृति देना।

ग- अंकेक्षक की नियुक्ति करना।

घ- अध्यक्ष की राय से अन्य विषयों पर विचार करना।

ड- संस्था के वार्षिक प्रतिवेदन एवं बजट को स्वीकृति देना।

च- आवश्यकता महसूस होने पर प्रखण्ड, अनुमण्डल, एवं राज्य स्तर पर समिति, उपसमिति को स्थापना करना।

छ- संस्था के लिए कोई चल अथवा अचल सम्पत्ति खरीदना, पट्टे पर लेना। ~~[illegible]~~

रमेश चन्द लाल

रमेश चन्द लाल

ज- साधारण सभा द्वारा लिया गया निर्णय सर्वथा अपरिवर्तनीय रहेगा।

8- <u>प्रबन्धकारिणी समिति:-</u>

अ- गठन:- प्रबन्धकारिणी समिति का गठन साधारण सभा द्वारा अपने सदस्यों में से किया जायेगा। जिसमें पदाधिकारी सहित 7 सदस्य होंगे।

ब- <u>बैठक सामान्य व विशेष:-</u>

प्रबन्धकारिणी समिति के साधारण बैठक वर्ष में तीन बार अर्थात प्रत्येक तिमाही में एक सप्ताह की सूचना पर सचिव द्वारा बुलाई जायेगी। इसके अतिरिक्त कार्यकारिणी समिति के सदस्यों की संख्या में से 1/5 सदस्यों द्वारा किसी निर्धारित विषय पर विचार हेतु प्रबन्धकारिणी समिति की बैठक सचिव द्वारा बुलाई जायेगी। जिसे बैठक की तिथि से संबोधित किया जायेगा कि बैठक के लिए भी एक सप्ताह की अवधि सूचना हेतु अनिवार्य होगी।

रमेश चन्द लाल
[illegible] Kr.
Chand
[illegible]yata Chaudhary
[illegible]मा जायसवाल

उप निबन्धक ... समितियाँ ... फैजाबाद

सत्य प्रतिलिपि
उप निबन्धक
फर्म्स सोसाइटीज़ तथा चिट्स
फैजाबाद (उ० प्र०)

प्रतिलिपि कर्ता
मिलान कर्ता
08/11/2001

.......5..........पर

ग– <u>सूचना अवधि:-</u>

बैठक की सूचना कम से कम सात दिन के अन्दर देनी होगी जिसमें बैठक का स्थान, दिन और समय तथा बैठक की विचारणीय कार्य सूची डाक अथवा अन्य प्रकार से भेजनी होगी। अति आवश्यक होने पर बैठक की सूचना केवल 48 घन्टे पूर्व भी दी जा सकती है।

ह– <u>गणपूर्ति:-</u>

समिति के कार्य संचालन के लिए जब भी आवश्यकता होगा प्रबन्धकारिणी समिति की बैठक होतवे रहेगी। प्रबन्ध समिति की बैठक के लिए 7 सदस्य द्वारा गणपूर्ति होगी। यदि बैठक के लिए नियत समय के 15 मिनट बाद तक गणपूर्ति नही होती है तो अगले दिन तक के लिए उसी स्थान तथा उसी समय के लिए बैठक स्थगित हो जायेगी। यदि उस दिन भी गणपूर्ति नही हुई तो उपस्थित सदस्यों से ही गणापूर्ति मान ली जायेगी और समिति की सारी कार्यवाही सम्पन्न करने के लिए वे सदस्य सक्षम होंगे।

र– <u>रिक्त स्थानों की पूर्ति करना:-</u>

पदेन तथा अधिकृत सदस्य के अतिरिक्त आकस्मिक रूप से किसी स्थान के रिक्त होने पर प्रबन्ध समिति उस स्थान की पूर्ति कर लेगी। किन्तु इस प्रकार चुने गये व्यक्ति का कार्यकाल रिक्त हुए सदस्य के शेष कार्य काल तक ही होगा। यदि साधारण सभा की किसी बैठक में जिसमें प्रबन्ध समिति के सदस्य का चुनाव होना था अवकाश ग्रहण करने वाले सदस्यों के स्थान की पूर्ति नही हुई अवकाश ग्रहण करने वाले या ऐसे सदस्य जिनके स्थानों की पूर्ति साधारण समिति के बिना हो सकती है वे पुर्ननिर्वाचित माने जायेंगे

ल– <u>प्रबन्धकारिणी समिति के कर्त्तव्य एवं अधिकार:-</u>

– कार्यकारिणी समिति के अधिकार एवं कर्त्तव्य:-

(क) संस्था के चल या अचल सम्पत्ति के उत्तरदायी होंगे

(ख) -संस्था के सभी कार्यों का संपादन विधिवत करना और प्रस्ताव पारित करना।

सत्य प्रतिलिपि
उप निबन्धक
फर्म्स समितियाँ तथा चिट्स
फैजाबाद (उ० प्र०)
08/11/01

मिलान कर्ता
वार्तालाप कर्ता
08/11/2001

§ ग § – उद्देश्य की पूर्ति हेतु अन्य वैधानिक कार्य करना।

§ घ § – सदस्यता स्वीकार या अस्वीकार करना।

§ ङ § – वार्षिक विवरणी तैयार करना एवं आम सभा में स्थापित करना।

§ च § – संस्था के कर्मचारियों की नियुक्ति, वेतन, विधि, अनुशासनात्मक कार्यवाही एवं नियुक्ति के बारे में निर्णय करना। एवं उनके कार्यों पर दृष्टि रखना और सेवा नियमावली बनाना।

§ छ § – बैंको में बचत अथवा चालू खाते खोलना, रुपये जमा कराना और उनका संचालन करना, बैंको से रुपये निकालना, चेक जारी करना, चेकों एवं ड्राफ्ट के आर्डर पर हस्ताक्षर करना और विनिमय पत्र जारी कराना।

§ ज § – किसी भी कार्य को आरम्भ करना व स्थगित करना। अथवा समाप्त समाप्त करना। प्रबन्ध समिति के अन्तर्गत होता किन्तु सभी निर्णयों को स्वीकृति साधारण सभा द्वारा आवश्यक होगी।

§ झ § – कार्यकाल:- प्रबन्धकारिणी समिति का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा किन्तु कोई भी सदस्य दोबारा चुना जा सकता है।

9- प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों के अधिकार एवं कर्त्तव्य:-

अध्यक्ष:-

क- संस्था के प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता करना।

ख- आवश्यकता पड़ने पर अपनी निर्णायक मत द्वारा किसी विषय में निर्णय देना।

ग- कार्यवाहीपंजी में अपना हस्ताक्षरकरना।

घ- संस्था के कार्यकलापों पर निगरानी रखना।

ङ.- अन्य वैधानिक कार्य करना।

उपाध्यक्ष:-

अध्यक्ष की अनुपस्थिति मे अध्यक्ष के समस्त कार्य उपाध्यक्ष करेगा।

सचिव सह कोषाध्यक्ष:-

क- सभी बैठकों का आयोजन करना।

ख- बैठक के कार्यवाही को कार्यवाहीपंजी में अंकित करना तथा अध्यक्ष से हस्ताक्षर कराकर अपना हस्ताक्षर करना।

सत्य प्रतिलिपि
उप निबन्धक
फर्मों समितियों तथा चिट्स
फैजाबाद (उ० प्र०)

प्रतिलिपि कर्ता
मिलान कर्ता

§ग§- उद्देश्य की पूर्ति हेतु अन्य वैधानिक कार्य करना।

§घ§- सदस्यता स्वीकार या अस्वीकार करना।

§ङ§- वार्षिक विवरणी तैयार करना एवं आम सभा में स्थापित करना।

§च§- संस्था के कर्मचारियों की नियुक्ति, वेतन, विधि, अनुशासनात्मक कार्यवाही एवं नियुक्ति के बारे में निर्णय करना। एवं उनके कार्यों पर दृष्टि रखना और सेवा नियमावली बनाना।

§छ§- बैंकों में बचत अथवा चालू खाते खोलना, रूपये जमा कराना और उनका संचालन करना, बैंकों से रूपये निकालना, चेक जारी करना, चेकों एवं ड्राफ्ट पे आर्डर पर हस्ताक्षर करना और विनिमय पत्र जारी कराना।

§ज§- किसी भी कार्य को आरम्भ करना व स्थगित करना। अथवा समाप्त समाप्त करना। प्रबन्ध समिति के अन्तर्गत होता किन्तु सभी निर्णयों को स्वीकृति साधारण सभा द्वारा आवश्यक होगी।

§व§- कार्यकाल:- प्रबन्धकारिणी समिति का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा किन्तु कोई भी सदस्य दोबारा चुना जा सकता है।

9- प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों के अधिकार एवं कर्त्तव्य:-

अध्यक्ष:-

क- संस्था के प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता करना।

ख- आवश्यकता पड़ने पर अपनी निर्णायक मत द्वारा किसी विषय में निर्णय देना।

ग- कार्यवाहीपंजी में अपना हस्ताक्षरकरना।

घ- संस्था के कार्यकलापों पर निगरानी रखना।

ङ.- अन्य वैधानिक कार्य करना।

उपाध्यक्ष:-
अध्यक्ष की अनुपस्थिति मे अध्यक्ष के समस्त कार्य उपाध्यक्ष करेगा।

सचिव सह कोषाध्यक्ष:-

क- सभी बैठकों का आयोजन करना।

ख- बैठक के कार्यवाही को कार्यवाहीपंजी में अंकित करना तथा अध्यक्ष से हस्ताक्षर कराकर अपना हस्ताक्षर करना।

सत्य प्रतिलिपि
उप निबन्धक
फर्म्स सोसाइटीज़ तथा चिट्स
फैजाबाद (उ० प्र०)

प्रतिलिपि कर्ता
मिलान कर्ता

........7......पर

ग- प्रत्येक पंजी एवं कागजात को सुरक्षित रखना।

घ- संस्था की ओर से पत्राचार करना।

ड.- संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सभी तरह का प्रयास करना।

च- आवश्यकतानुसार समिति की पूर्व अनुमति के बिना 5000/- रूपये तक व्यय करना लेकिन अनुमोदन कार्यकारिणी समिति की अगली बैठक में करा लेना होगा।

छ- कर्मचारियों की नियुक्ति करना, बर्खास्तगी करना, निलम्बित करना तथा उनका वेतन, भत्ता पारिश्रमिक आदि निर्धारण तथा भुगतान करना।

ज- संस्था के कार्यकलापों को आगे बढ़ाने के लिए स्वयंसेवी संस्थाओं एवं सरकारी विभागों में सम्पर्क स्थापित कर दान/अनुदान एवं ऋण प्राप्तकरना।

झ- संस्था के आय-व्यय का हिसाब रखना एवं बैठक में प्रस्तुत करना।

ई- संस्था के नाम प्राप्त राशि का रसीद काटना एवं उस पर अपना हस्ताक्षर करना।

ट- आय-व्यय लेखा का अंकेक्षण कराना।

ठ- संस्था के हित में अधिक से अधिक धन संग्रहित करना।

ड- जमा राशि की निकासी करना।

उपसचिवः-

सचिव के सहायक के रूप में कार्य करेगा।

10- **संस्था के सामान्य शर्त एवं प्रतिबन्धः-**

क- संस्था के विद्यालय की पंजीकृत सोसाइटी का समय-समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।

ख- विद्यालय के प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित सदस्य होगा।

रमेश चन्द्र लाल

Vinay Kr.

Chand

jala Choudhary

जाायसवाल

सत्य प्रतिलिपि

उप निबन्धक
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स
फैजाबाद (उ० प्र०)
08/11/2001

प्रतिलिपि कर्ता

मिलान कर्ता 08/11/2001

.......8.......पर

ग- विद्यालय में कम से कम 10 प्रति0 स्थान अनु0 जा0/अनु0 जा0 के मेधावी बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उत्तर प्रदेश मा0 शिक्षा परिषद/ बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।

घ- संस्था द्वारा राज्य सरकार से कोई अनुदान मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय मा0 शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय का संबद्धता सेन्ट्रल बोर्ड आफ सेकेण्ड्री एजूकेशन नई दिल्ली/कौन्सिल फॉर इण्डियन स्कूल सर्टिफिकेट एक्जामिनेशन नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उक्त परीक्षा परिषदों से सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से परिषद से मान्यता व राज्य सरकार से अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगा।

ङ- संस्था के शिक्षण तथा शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमान तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे।

च- कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनाई जायेंगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवा निवृत्त लाभ अनुमन्य कराई जायेगी।

छ- राज्य सरकार द्वारा समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे संस्था उनका पालन करेगी।

ज- विद्यालय का रेकार्ड निर्धारित प्रपत्र पंजिका में रखा जायेगा।

झ- उक्त शर्तों में बिना शासन के पूर्वानुमोदन के कोई परिवर्तन/संशोधन नहीं किया जायेगी।

ञ- संस्था उक्त प्रतिबन्धों का पालन निष्ठापूर्वक करेगी।

रमेश चन्द्र लाल

Vinay Kr.

Anand

ujata Chaudhary

रिमा जायसवाल

सत्य प्रतिलिपि

उप निबन्धक
फर्म्स समितियाँ तथा चिट्स
फैजाबाद (उ0 प्र0)
08/11/2001

प्रतिलिपि कर्ता ______

मिलान कर्ता ______

......9......पर 08/11/2001

की एकप्रति वार्षिक साधारण सभा में कम से कम तीन दिन पूर्व डाक द्वारा अथवा अन्य प्रकार से समिति के सभा सदस्यों को भेजना होगी।

ड– समिति के अन्तर्गत समिति द्वारा चलने वाले समस्त कार्यों को अलग–अलग हिसाब–किताब रखा जायेगा। जिनको समस्त रिपोर्ट साधारण सभा में प्रस्तुत की जायेगी।

14– संस्था द्वारा उनके विरुद्ध कार्यवाही के संचालन का उत्तरदायित्व

समिति द्वारा अथवा समिति के विरुद्ध दाखिल सभी दावों की तथा कानूनी कार्यवाही सचिव के नाम से की जायेगी और वह ऐसे मामलों में समिति का पूर्णतया प्रतिनिधित्व करेगे। किन्तु सभी कार्यवाहियों की पुष्टि प्रबन्धकारिणी समिति और साधारण ~~इत्यादि~~, सभा द्वारा बैठकों में अवश्य होनी चाहिए।

15– संस्था के अभिलेख § सदस्यता रजिस्टर§ , कार्यवाही रजिस्टर स्टाक रजिस्टर कैशबुक आदि§:=

क– संस्था के अभिलेखों की लिपि देवनागरी होगी, अभिलेखों में मुख्यत: कार्यवाहीपंजी सदस्यता पंजी, स्टाक, रजिस्टर, कैशबुक तथा खाता वही आदि होगा। सके अतिरिक्त आवश्यकतानुसार सभी प्रकार की पत्रावलियां रखा जायेगा जो सचिव द्वारा प्रमाणित होगा।

16– संस्था के विघटन और विघटित सम्पत्ति निस्तारण की कार्यवाही।:-

संस्था को विघटन और विघटित सम्पत्ति के निस्तारण को कार्यवाही सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधि0 का धारा – 13 व14 के अन्तर्गत

..........11......पर

सत्य प्रतिलिपि

उप निबन्धक
फर्म्स सोसाइटियाँ तथा चिट्स
फैजाबाद (उ० प्र०)

मिलानकर्ता
मिलान कर्ता
08/11/2001

11- **संस्था के नियमों एवं विनियमों में संशोधन प्रक्रिया:-**

संस्था के विधान में संशोधन एवं परिवर्तन साधारण सभा के किसी उद्देश्य से बुलाई गयी बैठक में 2/3 के बहुमत से हो सकेगी। इसकी सूचना तथा पुष्टि के लिए इस सम्बन्ध में निर्णयों की सच्ची प्रतिलिपि रजिस्ट्रार फार्म्स एण्ड सोसाइटीज को एक सप्ताह के अन्दर भेजनी होगी।

12- **संस्था के कोष {लेखा व्यवस्था}:-**

{क}- संस्था का कोष किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में रखा जायेगा। धनराशि जमा करने तथा निकालने का अधिकार, अध्यक्ष सचिव सह कोषाध्यक्ष के हस्ताक्षर से होगा। रमेश चन्द व्याल

{ख}-, संस्था द्वारा प्राप्त तथा व्यय किये गये धन तथा सम्पत्ति और जिस मद में राशि प्राप्त हुई हो व जिसमें व्यय की गयी हो और संस्था की पूंजी/सम्पत्ति और देनदारी का सही लेखा जोखा रखेगी। या रखने का प्रबन्ध करेगी। जहां आवश्यकता होगी संस्था के विभिन्न विभागों तथा कार्यक्रमों का हिसाब किताब अलग रखा जायेगा।

13- **संस्था के आय-व्यय का लेखा व्यवस्था:-**
{आडिट}:-

क- संस्था का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मई तक होगा। संस्था के नियमित आय-व्यय का लेखा रखा जायेगा एवं उसका लेखा परीक्षण मान्यता प्राप्त चार्टेड एकाउन्टेन्ट से कराया जायेगा।

ख- समिति के प्रलेखों की समीक्षा किसी चार्टेड एकाउन्टेन्ट द्वारा वर्ष में कम से कम एक बार होगी जिसे यथाचित समय पर समिति के सभी प्रलेखा हिसाब-किताब आडिटर की रिपोर्ट तथा अपनी रिपोर्ट सहित वार्षिक सामान्य सभा में प्रस्तुत करेगी। प्रबन्ध समिति वर्ष में कम से कम एक बार समिति की तलपट {बैलेन्स सीट} तैयार करेगी या करायेगी और समिति की हिसाब-किताब और आडिटर की रिपोर्ट और प्रबन्ध समिति का रिपोर्ट

रमेश चन्द व्याल
Vinay Ku.
Anand
Sujata Chaudhary
...िमा जायसवाल

सत्य प्रतिलिपि
उप निबन्धक
फर्म्स सोसाइटियों तथा चिट्स
फैजाबाद (उ० प्र०)

प्रतिलिपि कर्ता
मिलान कर्ता 10/7/2001

की जायेगी अर्थात संस्था की चल/अचल सम्पत्ति एक व्यक्ति अथवा सदस्य का न होकर समकक्ष उद्देश्य वाली संस्था के लिए आवंटित होगी।

17- अन्य ऐसी सभी विवरण/प्राविधान व संस्था के उद्देश्य की गणपूर्ति एवं संस्था के संचालन में सहयोगी, उपयोगी एवं आवश्यकताओं हेतु जिनका उल्लेख इस नियमावली में न हो पाया है उनके संबंध में सोसाइटी रजिस्ट्रेशन ऐक्ट के अन्तर्गत एवं इससे संबंधित नियमावली पर लागू होगा

उप निबन्धक कार्यालय ... समितियां ... उ० प्र०, फैजाबाद

हम प्रमाणित करते है कि यह नियमावली की सच्ची प्रतिलिपि है।

दि० 15/10/2004

रमेश चन्द्र लाल
अध्यक्ष

सचिव/कोषाध्यक्ष

शंकेश पाल

सत्य प्रतिलिपि
उप निबन्धक
फर्म्स समितियाँ तथा चिट्स
फैजाबाद (उ० प्र०)
08/11/04

प्रतिलिपि कर्ता ....
मिलान कर्ता ....
08/11/2004

की जायेगी अर्थात संस्था की चल/अचल सम्पत्ति एक व्यक्ति अथवा सदस्य का न होकर समकक्ष उद्देश्य वाली संस्था के लिए आवंटित होगी।

17- अन्य ऐसी सभी विवरण/प्राविधान व संस्था के उद्देश्य की गणपूर्ति एवं संस्था के संचालन में सहयोगी, उपयोगी एवं आवश्यकताओं हेतु जिनका उल्लेख इस नियमावली में न हो पाया है उनके संबंध में सोसाइटी रजिस्ट्रेशन ऐक्ट के अन्तर्गत एवं इससे संबंधित नियमावली पर लागू होगा

हम प्रमाणित करते है कि यह नियमावली की सच्ची प्रतिलिपि है।

दि० 15/10/2004

रमेश चन्द्र लाल

अध्यक्ष

सचिव/कोषाध्यक्ष

शकुन्तला पाल

सत्य प्रतिलिपि

उप निबन्धक
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स
फैजाबाद (उ० प्र०)
08/11/04

प्रतिलिपि कर्ता
मिलान कर्ता
08/11/2004

2 Rs

INDIA

दो रुपये

दो रुपये

सत्यमेव जयते

TWO RUPEES भारत TWO RUPEES

कार्यालय उप निबन्धक समितियाँ ... उ० प्र०, फैजाबाद

सेंट जेवियर्स एजुकेशनल सोसाइटी, बलरामपुर, रजि. 14492 - नियमावली -

प्रतिलिपि कर्ता

मिलान कर्ता

08/11/2001

सत्य प्रतिलिपि

उप निबन्धक

फर्म्स समितियाँ तथा चिट्स

फैजाबाद (उ० प्र०)

08/11/2001

...रामपुर का नवीनीकरण ... ायटी, सिविल लाइन निकट
...ैं। ...त्र एवं चालान आपके कार्यालय मे ... ता है। जिसके ...

2R$

INDIA

दो रुपये

दो रुपये

सत्यमेव जयते

TWO RUPEES भारत TWO RUPEES

कार्यालय उप निबन्धक ... फैजाबाद

सोसाइटी सेंट जेवियर्स एजुकेशनल
बलरामपुर रजि. 14492
नियमावली

सत्य प्रतिलिपि

प्रतिलिपि कर्ता
मिलान कर्ता 08/11/2001

उप निबन्धक
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स
फैजाबाद (उ० प्र०)
08/11/...

प्रारूप-9
नियम 8(2) देखिये

संख्या 01823/2021-2022

दिनांक 20/10/2021

सोसाइटी के नवीनीकरण का प्रमाण-पत्र

(अधिनियम संख्या 21, 1860 के अधीन)

नवीनीकरण
संख्या R BLR/10108/2021-2022

पत्रावली संख्या:F-14492 दिनांक:2001-2002

एतदद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि **सेंट जेवियर्स एजूकेशनल सोसायटी, सिविल लाइन निकट रोडवेज बस स्टैण्ड, जिला बलरामपुर, उ0प्र0, बलरामपुर, 271201** को दिये गये रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र संख्या- 652/2001-02 दिनांक-17/10/2001 को दिनांक-17/10/2021 से पांच वर्ष की अवधि के लिए नवीनीकृत किया गया है। 1000 **रूपये की नवीनीकरण फीस सम्यक् रूप से प्राप्त हो गयी है।**

Digitally Signed By
(DURGESH TRIPATHI)
95F5ADA0C02DA7968DA3B3F3097EFC08B15C904C
Date: 20/10/2021 4:14:47 PM, Location: Ayodhya

जारी करने का दिनांक-20/10/2021

सोसाइटी के रजिस्ट्रार,
उत्तर प्रदेश।